

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 687/2008

Project Engineer Sen.r.h.b.dungarpur

----Appellant

Versus

1. Legal representative of the late Shri Mavji
1/1 Naresh Chandra S/o Mavji Damor
R/o Near B-Ed. College, Pooja Hospital
Compound, Teh. and Dist. Dungarpur (Plaintiff)
2. Nanka S/o Shri Hoormal Meena
R/o Fatehpura, Dungarpur (Plaintiff)
3. Tehsildar (Landholder)
Dungarpur (Defendant-Proforma Respondent)
4. The Visheshadhikari, Urban Development and Housing
Department, Rajasthan, Jaipur (Defendant-Proforma
Respondent)

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Mool Singh Panwar
For Respondent(s)	: Mr. D L R Vyas

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधित शीर्षक अभिलेख पर लिया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित शीर्षक को पत्रावली में उचित स्थान पर संलग्न करें।

यह सिविल विविध अपील अपीलार्थी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित 27.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी क्रम-1 व 2 की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 709, 711, 714 के मुआवजे की राशि में वृद्धि कर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

इस अपील के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 30.03.2022 को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमि समझौता समिति की बैठक में प्रत्यर्थी/खातेदारों मावजी व

नानका की प्रार्थना पर उन्हें अवाप्त भूमि के मुआवजे के स्थान पर 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जा चुकी है और उसका पट्टा भी जारी हो चुका है, जो तथ्य खातेदारों के अधिवक्ता भी न्यायालय में स्वीकार कर रहे हैं तथा 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में दस्तावेज भी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

दोनों अधिवक्तागण का यह निवेदन है कि चूंकि खातेदारों ने अब कृषि भूमि अवाप्ति की मुआवजा राशि के स्थान पर 15 प्रतिशत विकसित भूमि स्वीकार कर ली है। ऐसी स्थिति में इस अपील को इसी समझौते के आधार पर निस्तारित कर दिया जावे।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। चूंकि प्रत्यर्थी/खातेदारों द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गई अपनी भूमि के मुआवजे की राशि के बदले में 15 प्रतिशत विकसित भूमि राजीनामा से प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब खातेदार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2008 तथा कार्यालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर (हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.19990 के अन्तर्गत दी गई किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं। इसी प्रेक्षण के साथ यह सिविल विविध अपील निस्तारित की जाती है।

तदनुसार विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J